

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 483]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 — आश्विन 9, शक 1942

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-1/2020/मबावि/50. — विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50, दिनांक 13-6-2017 द्वारा गठित चयन समिति का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 87 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नानुसार चयन समिति का गठन करता है :-

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एन. चंद्राकर | अध्यक्ष, |
| 2. | प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, रायपुर | सदस्य, |
| 3. | सुश्री कल्पना देशमुख, ए-19, पंचशील नगर, वार्ड नं. 01, न्यू सब्जी मार्केट के पास दुर्ग प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ी एक्वा एड सोसाईटी | सदस्य, |
| 4. | श्रीमती शारदा वर्मा, ग्राम/पोस्ट टेकारी कुण्डा, ब्लॉक-आरंग समीक्षा महिला कल्याण समिति के प्रतिनिधि रायपुर, | सदस्य, |
| 5. | पं. रविशंकर विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष, | सदस्य, |
| 6. | पं. रविशंकर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष, | सदस्य, |
| 7. | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग | सदस्य सचिव, |

2. उपरोक्त चयन समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 87 एवं 88 में उल्लेखित विहित प्रक्रिया अनुसार कार्य करेगी.
3. उपरोक्त समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, उप-सचिव.